

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 191/15

संस्थापन दिनांक:-13/04/15

फाईलिंग नं. 233504001352015

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

1. विजेश पिता दीनदयाल विजवे, उम्र 29 वर्ष
 2. विरेंद्र पिता दीनदयाल, उम्र 23 वर्ष
- दोनों निवासी परसोड़ी, थाना आमला,
जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 03.10.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो भा०द०सं० के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 06.04.2015 को समय शाम 05:30 बजे या उसके लगभग प्रार्थिया विद्या पटवारी के खेत में ग्राम परसोड़ी थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी विद्या पटवारी और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी विद्या पटवारी को स्वेच्छया उपहति कारित करने का आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी विद्या पटवारी को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 06.04.2015 को शाम 05:30 बजे अपने खेत बटाईदार से गेहूं बंटवाने गयी थी। तभी अभियुक्तगण आये और उससे कहा कि उसने उनके खेत की मेड़ तोड़ दी है जिस पर उसने कहा कि उसने मेड़ नहीं तोड़ी। इसी बात पर से अभियुक्तगण उसे मादरचोद बहनचोद की गंदी गंदी गालियां दिये जो उसे सुनने में बुरी लगी। फरियादी द्वारा अभियुक्तगण को गाली देने से मना करने पर अभियुक्तगण ने उसे हाथ मुक्कों से पेट, पीठ, एवं मुंह में मारपीट कर चोट पहुंचायी। अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना आमला में अपराध क. 189/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को

गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी विद्या पटवारी को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण

5 विद्याबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे मादरचोद, चूतकी, बहनचूत की गालियां दी थी जो उसे सुनने में बुरी लगी थी। इस संबंध में साक्षी दीनदयाल (अ. सा.-2) एवं रामदयाल (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को गाली गलौच की थी।

6 साक्षी विद्याबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में

अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय मादरचोद, चूतकी, बहनचूत की गालियां दी जाना बताया है। विधि में अश्लीलता की जो परिसंकल्पना धारा 294 द्वारा की गयी है उसका अभिप्राय ऐसे शब्दों से है जो शब्द सुनने वाले व्यक्ति के उपर प्रतिकूल प्रभाव डाले, उसे दूषित अवन्नति की ओर ले जायें, उसमें कामुकता यौन मनोव्यय को पैदा करे लेकिन फरियादी द्वारा बताये गये शब्द इस स्वरूप के नहीं हैं। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **सोबरन विरुद्ध म.प्र. राज्य 1967 जे.एल.जे. शार्ट नो. 135, विष्णु प्रसाद विरुद्ध म.प्र. राज्य 1971 जे.एल.जे. शार्ट नो. 148** अवलोकनीय है। इस प्रकार उपर्युक्त न्याय दृष्टांत एवं उनमें प्रतिपादित सिद्धांत तथा साक्ष्य के विश्लेषण से यह तथ्य सिद्ध नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा दी गयी गालियों से किसी व्यक्ति को क्षोभ या संत्रास कारित हुआ हो। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 विद्याबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे व उसके पति को जान से मारने की धमकी दी थी। दीनदयाल (अ.सा.-2) ने प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त विरेंद्र ने उसकी कॉलर पकड़कर काटकर बोरे में भरने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि साक्षी विद्याबाई (अ.सा.-1) ने अभियुक्तगण द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया है। अभियुक्तगण द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा०दं०सं० का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण

8 विद्याबाई (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त विरेंद्र ने उसके पति का गला दबा दिया था जब उसके बचाव किया तो अभियुक्तगण ने उसके साथ भी मारपीट की थी जिससे उसे पेट और गले में चोट आयी थी। उसका मेडिकल मुलाहिजा हुआ था। दीनदयाल (अ.सा.-2) ने साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उसकी कॉलर पकड़ ली थी और उसकी पत्नी के साथ हाथ मुक्कों से मारपीट की थी जिससे उसकी पत्नी के पेट, गाल और गले में चोट आयी थी।

9 डॉ. ललिता पाटिल (अ.सा.-5) ने दिनांक 07.04.2015 को सीएचसी आमला में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत विद्या का परीक्षण किये जाने पर आहत के दाहिने गाल के नीचे 3 गुणा 0.5 सेमी., बांये गाल के नीचे 1 गुणा 1 सेमी. था बांये हाथ की छोटी अंगुली के पृष्ठ भाग

पर 0.5 गुणा 0.5 सेमी. आकार की खरोच पायी थी। साक्षी ने आहत को आयी चोटें सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना संभावित होना प्रकट करते हुए उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-4) को प्रमाणित किया है।

10 बिसनसिंह (अ.सा.-7) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 08.04.2015 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 189/15 की केस डायरी प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी-2) तथा दिनांक 08.04.2015 को अभियुक्त विजेश एवं विरेंद्र को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-7 एवं प्रदर्श पी-8 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट किया है। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी से औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं जिससे उसके द्वारा की गयी अनुसंधान कार्यवाही का ब्योरा प्रकट होता है।

11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। फरियादी विद्या एवं साक्षी दीनदयाल पति पत्नी होकर हितबद्ध साक्षी हैं तथा उनके कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है जिससे अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में मुकेश (अ.सा.-4) एवं बबीता (अ.सा.-6) ने घटना का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उपर्युक्त साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। प्रतिपरीक्षण में भी साक्षीगण ने घटना की कोई जानकारी न होना बताया है। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

13 रामदयाल (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय फरियादी के पति दीनदयाल ने अभियुक्तगण की मेड़ फोड़ दी थी इसी बात पर से अभियुक्तगण ने फरियादी के पति दीनदयाल से विवाद किया था और धक्का मुक्की की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि घटना के समय वह अपने खेत पर था। उसके समक्ष अभियुक्तगण ने फरियादी विद्या के साथ कोई मारपीट नहीं की थी। दोनों पक्षों के मध्य विवाद दीनदयाल के द्वारा मेड़ फोड़ देने के कारण हुआ था। घटना के समय फरियादी विद्या उपस्थित नहीं थी और उसके अलावा मौके पर अन्य कोई भी नहीं था।

14 विद्याबाई (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह खेत पर थी। अभियुक्तगण पहले से ही मौके पर थे। उसके पति दीनदयाल बैलगाड़ी लेकर आये तब अभियुक्त विरेंद्र ने उसके पति की मारपीट की और गला दबा दिया और जब उसने बीच बचाव किया तो अभियुक्तगण ने उसके

साथ मारपीट की। अभियुक्त विजेश ने उसका गला दबाया, अभियुक्त विरेंद्र ने मारपीट की। दोनों ने हाथ मुक्कों से मारा जिससे उसके पेट, गले में चोट आयी थी। दीनदयाल (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि अभियुक्तगण पहले उसकी पत्नी के साथ विवाद कर रहे थे। जब वह पहुंचा तो अभियुक्त विरेंद्र ने उसकी कॉलर पकड़ ली फिर अभियुक्त विजेश मारने के लिए दौड़ा तभी उसकी पत्नी विद्या बीच में आ गयी। तब अभियुक्तगण उसे छोड़कर उसकी पत्नी के साथ हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगे। जिससे उसकी पत्नी को पेट, गाल और गले में चोट आयी।

15 विद्याबाई (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण से मूल विवाद खेत की मेड़ को लेकर है। यदि मेड़ का विवाद नहीं होता तो रिपोर्ट नहीं करती। अभियुक्त विरेंद्र ने उसे पेट पर मुक्का मारा था। दोनों ने ही हाथ पैर से उसके पति को मारा था जिससे उसके पति के मुंह और गले में चोट आयी थी। उसने पति का ईलाज भी कराया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में साक्षी ने यह बताया है कि घटना के दिन त्योहार था इसलिए दूसरे दिन रिपोर्ट लेख करायी थी। रात भर सोच विचार करने के बाद रिपोर्ट लेख करायी थी। दीनदयाल (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा तब उसकी पत्नी और अभियुक्तगण का विवाद शुरू हो गया था। पैरा क. 04 में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि फोन करके उसकी पत्नी ने उसे बुलाया था। पैरा क. 03 में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि खेत पर पहले उसकी पत्नी गयी थी, वह बाद में गया था। इस सुझाव को भी सही बताया है कि घटना के आधे घंटे बाद गया था। स्वतः कहा कि जब अभियुक्तगण गाली गलौच कर रहे थे तब पहुंच गया था।

16 अभियोजन कथा अनुसार अभियुक्तगण ने फरियादी विद्या के साथ मारपीट की और बीच बचाव रामदयाल ने किया और फरियादी ने घटना के बाद फोन लगाकर अपने पति दीनदयाल को बुलाया। अभियोजन कथा अनुसार साक्षी दीनदयाल (अ.सा.-2) चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है परंतु फरियादी ने अपने कथनों में बताया है कि घटना के समय मौके पर उसका पति दीनदयाल भी उपस्थित था। उसके साथ भी अभियुक्तगण ने मारपीट की थी। उसके पति को मुंह, गले में चोट आयी थी, उसके पति का ईलाज भी कराया था परंतु दीनदयाल की कोई भी चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट अभिलेख पर संलग्न नहीं है। विद्याबाई (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके पति की मारपीट किये थे और उसकी भी मारपीट किये थे परंतु दीनदयाल (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि अभियुक्त विरेंद्र ने मात्र उसकी कॉलर पकड़ी थी और बाद में उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने लगे थे। फरियादी विद्याबाई के मेडिकल परीक्षण में फरियादी को मात्र दोनों गालों पर और बांयी अंगुली पर खरोचनुमा चोट आयी थी। जबकि फरियादी ने अभियुक्तगण के द्वारा लात घुसो, मुक्कों से मारपीट करना बताया है। यह अत्यन्त अस्वाभाविक है कि यदि दो व्यक्ति एक महिला के साथ मिलकर लात घुसों से मारपीट करे और उसे मात्र खरोचनुमा चोटें आये। फरियादी विद्याबाई (अ.सा.-1) एवं दीनदयाल (अ.सा.-2) के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। साक्षीगण ने

अभियोजन कथा के अनुरूप कथन भी नहीं किये हैं। साथ ही साक्षीगण ने बढ़ाचढ़ाकर न्यायालय में कथन किये हैं तथा साक्षी दीनदयाल को चक्षुदर्शी साक्षी होना अपने कथनों में बताया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती ही जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

17 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी विद्या पटवारी और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी विद्या पटवारी को स्वेच्छया उपहति कारित करने का आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी विद्या पटवारी को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण विजेश एवं विरेंद्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)